न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 59/2019 प्रार्थना पत्र

नानालाल पिात घीसुलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी मांगरोल, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री बाबुलाल पाटीदार, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की वाके मौजा मांगरोल की खाता संख्या 303 की आराजी नं. 2031 रकबा 0.2000 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 2057 रकबा 1.7000 हैक्अेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने आराजी नं. 1438 मी है। उक्त पुराने आराजी नं. 1438 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा के दो नये आराजी नं. 2031 रकबा 0.2000 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 2057 रकबा 1.7000 हैक्टेयर पड़े। पुराने आराजी नं. 1438 मी रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम थी परन्तु वर्तमान सेटलमेण्ट में कर्मचारियों की गलती के कारण आराजी नं. 2031 को नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 2057 के स्थान पर एवं आराजी नं. 2057 को आराजी नं. 2031 के स्थान पर दर्शा दिया गया है। आराजी नं. 2031 जिसका रकबा राजस्व रेकार्ड में 0.20000 हैक्टेयर है उसे नक्शा ट्रेस में बड़ा कर दिया तथा आराजी नं. 2057 जिसका रकबा राजस्व रेकार्ड में 1.7000 हैक्टेयर है उसको नक्शा ट्रेस में छोटा कर दिया है जो गलत है। पुराने नक्शे में उक्त आराजीयात बिल्कुल सही रूप से तरमीम थी परन्तु नवीन नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी संख्या 2031 के स्थान पर आराजी नं. 2057 का एवं आराजी नं. 2057 के स्थान पर आराजी नं. 2031 का अंकन कराने का कष्ट करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन

किया की प्रकरण में वर्णित आराजी नं. 2031 का रकबा 0.2000 हैक्टेयर दर्ज है जबकि नक्शे में नापने पर उक्त आराजी का रकबा 1.7000 हैक्टेयर पाया गया। इसी प्रकार आराजी नं. 2057 का रकबा 1.7000 हेक्टेयर दर्ज है परन्तु नक्शे में नापने से उक्त आराजी का रकबा 0.2000 हैक्टेयर पाया गया। उक्त दोनों आराजीयात राजस्व रेकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी नानालाल पिता घीसु जाट निवासी मांगरोल के नाम दर्ज रेकार्ड है। साथ ही नक्शे अनुसार रकबे में संशोधन किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 303 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम मांगरोल व नक्शा ट्रेस ग्राम मांगरोल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। राजस्व रेकार्ड में उक्त दोनों प्रश्नगत भूमियां प्रार्थी नानालाल पिता घीसु जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के कथनों की ताईद की है। हमने स्वयं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। नक्शा ट्रेस में रकबा बरारी करने पर आराजी नं. 2031 का रकबा 1.7000 बनता है जबकि रेकार्ड में इस आराजी का रकबा सिर्फ 0.2000 अंकित है। इसी प्रकार आराजी नं. 2057 की रकबा बरारी करने पर रकबा 0.2000 हेक्टेयर बनता है जबकि रेकार्ड में उक्त आराजी का रकबा 1.7000 हैक्टेयर अंकित है। इस प्रकार दोनों आराजीयात का रकबा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित है जबकि नक्शा ट्रेस में सही तरमीम है। उक्त दोनों आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की होने से अन्य कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है तथा रकबे का सही अंकन करने से जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस समान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम मांगरोल की आराजी नं. 2031 का रकबा 1.7000 हैक्टेयर अंकित किया जावे तथा आराजी नं. 2057 का रकबा 0.2000 हैक्टेयर अंकित किया जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 21.08.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:01:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: